

जाये। चक रिडमलसर बारानी के खाता सं 50/11 के मुरबा नं 25 के कि 0.253 है 0 व मुरबा नं 26 किला नं 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.236 है 0 पूर्वी दिशा व किला नं 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक 0.253 है 0 कुल भूमि 03.7524 है 0 की वादी के पक्ष में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की जाये। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दी जाये कि वोह वादीगण की हिस्सा की भूमि में कोई दखलअन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं 13 बैंक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं 1 ता 9 उपस्थित नहीं आने पद उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं 10 को तर्क किया गया। वादी अधिवक्ता ने तहसील पदमपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार पदमपुर के पत्रांक: भू0अ0/वि0प्र0/2019/3964 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताने पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पदमपुर विभाजन प्रस्ताव अनुसार है। कि पटवारी हल्का रिडमलसर से जांच रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट पटवारी चक रिडमलसर बारानी जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं 50 के मुरबा नं 25, 26/12.523 है 0 बारानी आराजी की मुताबिक आदेश मौका जांच करने पर पाया की उक्त रकबे पर वादी मुरबा नं 25 के किला नं 1/0.253, 2/0.008, 9/0.008, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.008, 19/0.008, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.009 कुल 1.306 है 0 व मुरबा नं 26 के किला नं 4/0.236, 5/0.253, 6/0.253, 7/0.236, 14/0.236, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.236, 24/0.237, 25/0.253, कुल 2.446 है 0 कुल 3.752 है 0 बारानी आराजी पर बिना किसी विवाद के काबीज है। शेष खातेदार को बदस्तुर रखते हुए वादी का वाद पत्र उचित है।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव

